न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 76/2023 दायर दिनाँक 29.03.2023

वादी		प्रतिवादी
1.मगनीराम प्राकृतक पुत्र श्री पेमाराम दत्तक पुत्र घासीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बरडवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

राजस्व–वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा 88, R.T. Act., 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री दानाराम भाटी एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 23.04.2026

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि ग्राम बरडवा के खते खसरा सख्या 725/602 रकबा 1.4550 है. भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। वादी के समस्त राजकीय दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक में प्राकृतिक पिता पेमाराम का नाम दर्ज है। वादी के खातेदारी सुदा खेत खसरान में केवल मात्र वादी के दत्तक पिता घासीराम का ही नाम है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात में प्राकृतिक पिता का नाम पेमाराम का नाम दर्ज है इसलिए उक्त खेतों की खातेदारी में मुझ वादी के प्राकृतिक पता का नाम पेमाराम के साथ दत्तक पुत्र घासीराम नाम दर्ज होना चाहिए था। अर्थात मंगनीराम प्राकृतिक पुत्र पेमाराम दत्तक पुत्र घासीराम नाम दर्ज होना चाहिए था। वादी के पिता के नामों में भिन्नता व समान नाम न होने के कारण अनेकानेक कठिनाईयों का व परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा नहीं किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त होती है बल्कि दिक्कते कठिनाईयां होती है इसलिए राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक होने के कारण वाद बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

सरहद ग्राम बरडवा में खेत खसरा नम्बर 725/602 रकबा 1.4550 है. भूमि की खातेदारी में वदी के प्राकृतिक पिता का नाम पेमाराम के साथ दत्तक पुत्र घासीराम नाम दर्ज होना चाहिए था। अर्थात मंगनीराम प्राकृतिक पुत्र पेमाराम दत्तक पुत्र घासीराम नाम से राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे। एवं वादी के प्राकृतिक पिता का. नाम पेमाराम के साथ दत्तक पुत्र घासीराम नाम दर्ज होना चाहिए था। अर्थात मंगनीराम प्राकृतिक पुत्र पेमाराम दत्तक पुत्र घासीराम नाम से राजस्व रेकर्ड में घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक रीडर/2024/324 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम बरडवा में खेत खसरा नम्बर 725/602 रकबा 1.4550 है. भूमि में वादी अपने पिता का नाम मगनीराम दत्तक पुत्र घासीराम के स्थान पर मंगनीराम प्राकृतिक पुत्र पेमाराम दत्तक पुत्र घासीराम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बरडवा के खसरा संख्या 725/602 रकबा 1.4500 है. भूमि की खातेदारी मगनीराम दत्तक पुत्र घासीराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज है। प्रार्थी का नाम नामान्तरण संख्या 56 जरिये फोतगी से पानूडी बेवा घासीराम के स्थान पर मगनराम दत्तक पुत्र घासीराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। प्रार्थी के आधार कार्ड में नाम मगनीराम पुत्र पेमा तथा पहचान पत्र में मगनाराम पुत्र पेमाराम अंकित है। ग्राम बरडवा के बुजुर्ग लोगों से पुछताछ करने पर बताया कि प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम पेमाराम हैतथा प्रार्थी घासीराम का गोद पुत्र है। पुराना खसरा नम्बर 404 के नये खसरा नम्बर 602 बने है नामान्तरण संख्या 792 (विभाजन) से प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 725/602 की खातेदारी दर्ज हुयी है।

वादी अपने दत्तक पिता घासीराम के नाम स्थान प्राकृतिक पिता पेमाराम का नाम दर्ज करवाना चाहता है। तहसीलदार रिपोर्ट एवं प्रार्थी की प्रार्थना से स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के दत्तक पिता का नाम खातेदारी में दर्ज है। जबकि वादी दत्तक पिता के नाम के साथ प्राकृतिक पिता का नाम भी खातेदारी में दर्ज करवाना चाहता है जिसकी विधि इजाजत नहीं देता है। अतः वादी का नाम दुरूस्ती बाबत् उक्त वाद परिपोषणीय नहीं है।

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम बरडवा के खेत खसरा सख्या 725/602 रकबा 1.4550 है. भूमि में वादी के पिता के नाम में रेकर्ड दुरूस्ती बाबत् हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **23.04.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना